विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
संशोधित कार्यसूची
शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 / आश्विन 05, 1946 (शक)
11.00 बजे पूर्वाह्न

1. **विशेष उल्लेख (नियम–280) :**
निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत मामले उठाये जायेंगे:–

1	श्री अभय वर्मा	6	श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
2	श्री हाजी युनूस	7	श्री राजेश गुप्ता
3	श्री जय भगवान	8	श्री नरेश यादव
4	श्री अजय महावर	9	श्री अनिल कुमार बाजपेयी
5	श्री विजेंद्र गुप्ता	10	श्री ओम प्रकाश शर्मा

2. **धन्यवाद प्रस्ताव (नियम–114) :**
श्री दिलीप पांडे, माननीय मुख्य सचेतक निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि :
यह सदन, केंद्र सरकार द्वारा अपना निर्धारित अंश देने में विलम्ब करने के बावजूद, आई.जी. पेंशन योजना के लाखों लाभार्थियों की पेंशन को अनथक प्रयासों से जारी करवाने के लिए दिल्ली सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है।

3. **ध्यानाकर्षण (नियम–54) :**
श्री संजीव झा, माननीय सदस्य *''छठ पूजा पर्व पहले की तरह यमुना नदी के घाटों पर आयोजित करने''* के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. **संकल्प :**
श्री कुलदीप कुमार, माननीय सदस्य दिल्ली में 04 दशकों से स्थापित डेयरी फार्मों के मिश्रित भू–उपयोग तथा मालिकाना हक के संबंध में संकल्प प्रस्तुत करेंगे। (पाठ संलग्न)

5. **अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) :**
I. श्री भूपेंद्र सिंह जून
श्री राजेश ऋषि
श्री कुलदीप कुमार
'' दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति तथा व्यापारियों को फिरौती और वसूली की खुलेआम धमकी '' के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।
II. श्री मदन लाल
श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
श्री विनय मिश्रा
''निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के उददेश्य से, केंद्रीय एजेंसियों यथा–प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं आयकर विभाग का दिल्ली सरकार के मंत्रियों एवं विधायकों के विरूद्ध दुरूपयोग'' के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

6. **विधेयक पर विचार करना तथा पारित करना :**
श्रीमती आतिशी, माननीय मुख्यमंत्री / वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 26 सितम्बर, 2024 को सदन में पुरःस्थापित **"दिल्ली माल एवं सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024"** (वर्ष 2024 का विधेयक संख्या–03) पर विचार किया जाये।
यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाये।

दिल्ली — **रंजीत सिंह**
27 सितम्बर, 2024 — **सचिव**

LEGISLATIVE ASSEMBLY

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

REVISED LIST OF BUSINESS
Friday, 27 September 2024 / 05 Ashwin 1946 (*Saka*)
11.00 AM

1. **Special Mention (Rule-280) :**
   The following Members to raise matters under Rule-280 with the permission of the Chair:
   1. Shri Abhay Verma
   2. Shri Haji Yunus
   3. Shri Jai Bhagwan
   4. Shri Ajay Mahawar
   5. Shri Vijender Gupta
   6. Shri Akhilesh Pati Tripathi
   7. Shri Rajesh Gupta
   8. Shri Naresh Yadav
   9. Shri Anil Kumar Bajpai
   10. Shri Om Prakash Sharma

2. **Motion of Thanks (under Rule-114) :**
   Shri Dilip Kumar Pandey, Hon'ble Chief Whip to move the following Motion :
   "This House expresses its gratitude to the Delhi Government for its tireless efforts to release the pension of lakhs of beneficiaries of the IG Pension Scheme inspite of the Central Government delaying the release of its prescribed share".

3. **Calling Attention (Rule-54) :**
   Shri Sanjeev Jha, Hon'ble Member to call the attention of the House towards organizing Chhat Puja Festival on the Ghats of river Yamuna as per past practice

4. **Resolution :**
   Shri Kuldeep Kumar, Hon'ble Member to move a Resolution regarding mixed land use and ownership of Dairy Farms established in Delhi since 04 decades. (Text Enclosed)

5. **Short Duration Discussions (Rule-55) :**
   I. **Shri Bhupinder Singh Joon**
   Shri Rajesh Rishi
   Shri Kuldeep Kumar
   To initiate discussion on the deteriorating law and order situation in Delhi and open threats of ransom and extortion from the businessmen**.**

   II. **Shri Madan Lal**
   Shri Akhilesh Pati Tripathi
   Shri Vinay Mishra
   to initiate discussion regarding *misuse of Central Agencies viz. Enforcement Directorate, Central Bureau of Investigation & Income Tax Department against Delhi Government Ministers & MLAs in order to the destabilise the elected Government.*

6. **Consideration and Passing of Bill :**
   Smt. Atishi, Hon'ble Chief Minister/Minister of Finance to move that **'The Delhi Goods & Services Tax (Third Amendment) Bill, 2024" (Bill No. 03 of 2024)** introduced in the House on 26th September, 2024 be taken into consideration.
   Also to move that the Bill be passed.

Delhi **Ranjeet Singh**
27 September 2024 **Secretary**

<u>संकल्प</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है कि :

इस सदन के संज्ञान में आया है कि तत्कालीन दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1976 में शहर की आबादी से दूर, घने जंगलों में पशु पालन के लिए उपयुक्त स्थानों पर 10 डेयरी फार्मों की स्थापना की,

दिल्ली के निरंतर विकास के परिणामस्वरूप इन डेयरी फार्मों के आसपास कई आवासीय कालोनियों का निर्माण हो गया, जिस कारण कई डेयरी मालिकों को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा और स्थानीय निवासियों को भी मौजूदा डेयरी फार्मों के कारण अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है,

इन कठिन परिस्थितियों के कारण कई डेयरी मालिकों ने पशु पालन का काम छोड़ दिया और उन पर आजीविका का खतरा मंडरा रहा है,

इसके दृष्टिगत, दिल्ली सरकार ने वर्ष 2018–19 में श्री गुलाब सिंह यादव की अध्यक्षता में एम.सी.डी, डूसिब, डीडीए और डेयरी फार्म के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया, जिसने यह अनुमोदन किया कि इन डेयरी क्षेत्रों का भू–प्रयोग बदलकर मिश्रित भू–प्रयोग (मिक्स लेंड यूज) किया जाये,

यह आश्चर्यजनक है कि उस समिति की सिफारिशें अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं और लगभग ढाई लाख परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है और वे अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं,

उपरोक्त गंभीर स्थिति को देखते हुए यह सदन दृढ़तापूर्वक अनुमोदन करता है कि :

उक्त समिति की सिफारिशों के दृष्टिगत, उक्त डेयरी क्षेत्रों का भू–प्रयोग बदलकर मिश्रित भू–प्रयोग (मिक्स लेंड यूज) किया जाये, और

लगभग 05 दशकों से स्थापित इन डेयरी फार्मों के संबंधित मालिकों को अविलम्ब मालिकाना हक प्रदान किया जाये।